केय बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी.

ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (भारत)

निजी सीमित

(2019 की सिविल अपील संख्या 1137)

10 अगस्त, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एसएस। 8 और 9 -

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-परिचालन लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन-रखरखाव-आयोजितः जब कोई विवाद वास्तव में मौजूद होता है और नकली, काल्पनिक या काल्पनिक नहीं होता है भ्रमपूर्ण; और यदि "परिचालन लेनदार" द्वारा एक नोटिस प्राप्त किया गया है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आरंभ करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देता है

सी. आई. आर. पी. यह आवश्यक है कि "निगमित देनदार" द्वारा दी गई सूचना "परिचालन लेनदार" के ध्यान में किसी विवाद के अस्तित्व या इस तथ्य को लाए कि पक्षकारों के बीच विवाद से संबंधित कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित है-इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह देखना है कि क्या कोई प्रशंसनीय है।

तर्क जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होती है और यह कि विवाद एक स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है-हालाँकि, अदालत को मामले के गुण-दोष में जाने या इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है या नहीं-तथ्यों पर, आवेदन यू/एस। 9 प्रत्यर्थियों द्वारा दायर, परिचालन लेनदार होने का दावा करते हुए-एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग करने वाले आवेदन को यह पता लगाने के बाद कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के बीच विवाद मौजूद है और इस तरह, एक आदेश यू/एस। 9 पारित नहीं किया गया होगा-एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या की

तथ्यात्मक के साथ-साथ कानूनी स्थिति और एन. सी. एल. टी. के आदेश को उलटने और याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश देने में त्रुटि। 9 इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 एस. एस. का अवलोकन। 8 और दिवाला के 9 और

दिवालियापन संहिता, 2016 से पता चलता है कि एक "परिचालन लेनदार" को चूक होने पर, अवैतनिक "परिचालन ऋण" की "मांग सूचना" या ऋण की एक प्रति देने की आवश्यकता होती है।

प्राधिकरण को आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (ii) (डी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना पड़ता है, यदि "परिचालन लेनदार" द्वारा कोई नोटिस प्राप्त किया गया है या यदि सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह आवश्यक है कि "कॉर्पोरेट देनदार" द्वारा दी गई सूचना "परिचालन लेनदार" के ध्यान में किसी विवाद के अस्तित्व या इस तथ्य को लाए कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद से संबंधित मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित है। इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि विवाद स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है। नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो केवल एक धौंस है। हालाँकि, इस स्तर पर, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है या नहीं। न्यायालय ऊपर बताए गए सीमा के अलावा विवाद के गुण-दोष में भी नहीं जा सकता है। जब तक कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तब तक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आवेदन को अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। [पैरा 17] [126-ई-एच; 127-ए-बी] केय बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

1.3 यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी कंपनी का दावा

1.6 यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मामला कि Rs.47,12,10,000/- की राशि जो प्रत्यर्थी द्वारा उसे भुगतान की गई थी, का भुगतान एम कंपनी की ओर से उसे जारी की गई धनराशि से किया गया था। एम कंपनी की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को एक ऐसा विवाद नहीं कहा जा सकता है जो नकली, भ्रामक हो या रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो। अभिलेख पर रखी गई सामग्री स्पष्ट करती है कि प्रारंभिक भुगतान जो प्रतिवादी द्वारा उप-ठेकेदार के रूप में अपीलार्थी को किया गया था, जो एक ठेकेदार था, वह एम कंपनी की ओर से और [2021] 8 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त धन से किया गया था।

एम कंपनी से प्रतिवादी। यह भी स्पष्ट होगा कि जब ए एम कंपनी और अपीलार्थी के बीच सीधे नया अनुबंध किया गया था, एम कंपनी ने उक्त राशि का निर्देश दिया था

Rs.47,12,10,000/- परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से एम कंपनी को की जाने वाली आपूर्ति के साथ समायोजित किया जाना है। इसके विपरीत, दस्तावेजों ने स्पष्ट किया कि समाप्ति उत्तरदाताओं के साथ अनुबंध उत्तरदाताओं को के बोवेट को भुगतान किए गए यू. एस. डी. 10.62 के अलावा एल. ओ. सी. की 25 मिलियन की पहली किश्त के शेष के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। [पैरा 31] [134-सी-एफ]

1.7 इन परिस्थितियों में, एन. सी. एल. टी. ने सही ही खारिज कर दिया था।

उत्तरदाताओं का आवेदन यह पता लगाने के बाद कि एक अस्तित्व में है अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के बीच विवाद और इस तरह, आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत एक आदेश पारित नहीं किया गया होगा। एन. सी. एल. ए. टी. ने तथ्यात्मक के साथ-साथ कानूनी स्थिति की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या की है और एन. सी. एल. टी. के आदेश को उलटने और संहिता की धारा 9 के तहत याचिका को स्वीकार करने का निर्देश देने में गलती की है। [पैरा 32] [134 एफ-जी]

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एससीआर

1006 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पारस 15,16

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1137

2019 .

राष्ट्रीय संविधान के 21.12.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 582 में नई दिल्ली में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अक्षत कुमार, अजय के. जैन, अतानु

मुखर्जी, यश करण जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आमिर अरसीवाला, वी. सिद्धार्थ, पी. एन. पुरी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

केय बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. यह अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है (जिसे इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है)

"एन. सी. एल. ए. टी".) दिनांक 21 दिसंबर 2018, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई है। प्रतिवादी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 582 को प्राथमिकता दी थी।

(इसके बाद 26 जुलाई 2018 को "एन. सी. एल. टी".) के रूप में संदर्भित किया गया, जिससे याचिका को सी. पी. होने के कारण खारिज कर दिया गया। (आईबी)-20 (एमबी)/2018, दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है।

(इसके बाद "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित)। 21 दिसंबर 2018 के विवादित आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी को सीमित नोटिस देने के बाद आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के निर्देश के साथ मामले को एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया है ताकि वह दावे का निपटारा कर सके।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: भारत सरकार ने डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया

" एक्ज़िम बैंक ") सूडान में मश्कोर चीनी परियोजना को पूरा करने के लिए। यह 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किश्तों में था। 26 जनवरी 2009 को सुडान गणराज्य और एक्ज़िम बैंक के बीच मश्कोर चीनी के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त का निष्पादन किया गया था। परियोजना। 11 अक्टूबर 2009 को, माशकोर शुगर कंपनी लिमिटेड, सूडान (इसके बाद "माशकोर" के रूप में संदर्भित) ने प्रतिवादी-ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट के साथ एक समझौता किया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले यू. एस. डी. 149,975,000 के लिए सीमित (इसके बाद "विदेशी" के रूप में संदर्भित)। उक्त समझौते के अनुसार, मश्कौर को एक उप-ठेकेदार को नामित करना था। इसके बाद 14 अप्रैल 2010 को मश्कौर और ओवरसीज के बीच "डिजाइन और इंजीनियरिंग पैकेज" के लिए विदेशों में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान के लिए एक समझौता किया गया था।

और स्थल जुटाने सहित नागरिक पैकेज लगाएंगे "। मश्कौर के निमंत्रण के जवाब में, अपीलकर्ता-के बोवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड

(इसके बाद "के बोवेट" के रूप में संदर्भित) ने सूडान में चीनी संयंत्र की आपूर्ति, निर्माण और पूरा करने के लिए एक उप ठेकेदार के रूप में अपनी बोली प्रस्तुत की, जिसे मश्कोर ने स्वीकार कर लिया। 18 दिसंबर 2010 को एक [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूडान के खार्तूम में मश्कौर, ओवरसीज और के बोवेट के बीच समझौता ज्ञापन (इसके बाद "एमओयू" के रूप में संदर्भित) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन में प्रावधान किया गया है कि अनुबंध को सूडान के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाना है। यही समझौता ज्ञापन प्रत्येक पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। उसी तारीख को, तीनों पक्षों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी किया गया था, जिसके माध्यम से, के बोवेट को एक उप-ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, जो मश्कौर चीनी कंपनी के लिए कारखाने के संयंत्र की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण, परीक्षण और पूरा करने के पूरे काम को निष्पादित करने के लिए $106.200 मिलियन की राशि के लिए था।

3. 29 मार्च 2011 को, ओवरसीज ने मश्कौर को भेजे गए एक ई-मेल के माध्यम से पुष्टि की कि त्रिपक्षीय समझौते के तहत मश्कौर को रिहा किया जाना था।

विदेशों और विदेशों को एल. ओ. सी. की पहली किश्त का भुगतान बदले में के बोवेट द्वारा माशकौर को अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने पर के बोवेट को यू. एस. डी. 10.62 मिलियन का भुगतान जारी करना था। 21 अप्रैल 2011 के पत्र के माध्यम से, एक्ज़िम बैंक ने विदेशों को सूचित किया कि रु। 46.58 करोड़ रुपये उसके बैंक खाते में भेजे गए थे। विदेशों में उसी तारीख के पत्र के माध्यम से धन की प्राप्ति के बारे में मश्कौर को पुष्टि की गई और आगे बताया गया कि यह आवश्यक बैंक गारंटी जमा करने पर के बोवेट को USD 10.62 मिलियन जारी करेगा। 28 जुलाई 2011 को, के बोवेट ने सूचित किया विदेशों में कि उसने मश्कौर को आवश्यक गारंटी प्रस्तुत की थी। मश्कौर की सलाह पर, ओवरसीज ने के बोवेट को Rs.47,12,10,000/की राशि का भुगतान किया। विनिमय दर के संबंध में कुछ विवाद थे, जिसके कारण, के बोवेट ने मश्कौर को सूचित किया कि इसे भारतीय रुपये में अधिक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

4. 24 जुलाई 2013 को सूडान गणराज्य और एक्ज़िम बैंक के बीच 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किश्त के निष्पादन के बाद, एक समझौता हुआ

चीनी कारखाना परियोजना के अंतिम भाग के वित्तपोषण के लिए USD 124,975,000 की शेष राशि के लिए 9 फरवरी 2014 को मश्कौर और ओवरसीज के बीच निष्पादित किया गया था। 30 अक्टूबर 2014 को, विदेशों ने सूचित किया

एक्ज़िम बैंक चीनी परियोजना के संबंध में एल. ओ. सी. के तहत प्राप्त होने वाले धन से के बोवेट के पक्ष में यू. एस. डी. 95,580,000 की आंशिक राशि हस्तांतरित करेगा।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, विदेश मंत्रालय, सरकार के बीच संचार का कुछ आदान-प्रदान हुआ

भारत (इसके बाद "गोल" के रूप में संदर्भित) और सूडान सरकार। संचार के इस तरह के आदान-प्रदान के अनुसरण में, 17 अप्रैल 2017 को, केएवाई बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

भारत में सूडान के राजदूत ने विदेश राज्य मंत्री, गोल को संबोधित किया और विदेशियों के साथ मश्कोर के अनुबंध को समाप्त करने और बदले में के बोवेट को ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि

सूडान के राजदूत ने कहा कि के बोवेट के साथ एक समझौते को निष्पादित करना आवश्यक होगा ताकि एक्ज़िम बैंक के बोवेट को धन जारी करने में सक्षम हो सके। 25 अप्रैल 2017 के संचार के माध्यम से, सूडान के राजदूत ने मश्कौर को गोल की नियंत्रण रेखा के अप्रयुक्त हिस्से के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष अनुबंध के रूप में के बोवेट के साथ एक समझौता करने के लिए सूचित किया। यह भी बताया गया कि के बोवेट द्वारा 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त से प्राप्त Rs.47,12,10,000/की अग्रिम राशि को परियोजना को पूरा करने के लिए मश्कौर को की जाने वाली आपूर्ति के साथ समायोजित किया जाना था।

6. 15 जून 2017 को, मश्कौर ने अनुबंध को समाप्त कर दिया।

कर्तव्यों का पालन करने में अपनी ओर से विफलता के लिए विदेश। विदेशों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का 785 नंबर का एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन और उनसे निषेधाज्ञा के आदेश की मांग की गई थी।

के बोवेट को मश्कोर परियोजना में एक ठेकेदार के रूप में नियुक्त करना। नोटिस दें।

2017 के प्रस्ताव संख्या 1314 को भी निषेधाज्ञा के लिए स्थानांतरित किया गया था। 27 जून 2017 के आदेश के अनुसार, विदेशी लोगों द्वारा की गई विज्ञापन अंतरिम राहत की प्रार्थना को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

7. 5 जुलाई 2017 के संचार के माध्यम से, मश्कौर ने सूचित किया

गुलदस्ता। तदनुसार, उसी दिन मश्कोर और के बोवेट के बीच एक समझौता निष्पादित किया गया। उसी द्वारा सूचित किया गया था 11 जुलाई 2017 को विदेश मंत्रालय में सूडान के राजदूत।

8. आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत एक मांग नोटिस दिया गया था।

उस पर

विदेशी द्वारा के बोवेट ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत चूक का आरोप लगाया और के बोवेट को विदेशी द्वारा भुगतान की गई USD 10.62 मिलियन की राशि का दावा किया। के बोवेट ने 6 दिसंबर 2017 को संचार के माध्यम से विदेशी के दावे का खंडन किया। यह विशेष रूप से बताया गया था कि ओवरसीज द्वारा के बोवेट को जो राशि का भुगतान किया गया था, वह मश्कौर की ओर से प्राप्त हुई थी और इसे केवल ओवरसीज और [2021] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से भेजा गया था।

वही नए समझौते के तहत समायोजित किया गया है। 27 दिसंबर 2017 को, ओवरसीज ने खुद को एक परिचालन लेनदार होने का दावा करते हुए, एनसीएलटी, मुंबई के सीपी (आईबी) के समक्ष आईबीसी की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की। No.20 (MB)/2018। 26 जुलाई 2018 के आदेश के अनुसार, एन. सी. एल. टी. ने याचिका को खारिज कर दिया। विदेशों में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 582 की अपील में भी यही बात कही गई थी। 21 दिसंबर 2018 के विवादित आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने उपरोक्त अपील को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-के बोवेट ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. अपीलार्थी-के बोवेट की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने कहा कि किसी भी तरह की कल्पना से, ओवरसीज द्वारा किए गए दावे को "कार्यात्मक" माना जा सकता है।

ऋण "और इस तरह, विदेशों में एक" परिचालन लेनदार "नहीं हो सकता है। इसे धारा 9 के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में सक्षम बनाना

प्रस्तुत किया कि बकाया भुगतान के संबंध में रोजगार या ऋण सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधानों के संबंध में के बोवेट से विदेशों द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है और इस तरह, यह देय राशि के भुगतान के संबंध में फिट नहीं होगी। आई. बी. सी. की धारा 5 की उप-धारा (21) के तहत दी गई "परिचालन ऋण" की परिभाषा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इसी सादृश्य से, विदेशी भी "परिचालन लेनदार" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे।

10. श्री भूषण ने आगे कहा कि वास्तव में, ओवरसीज द्वारा के बोवेट को जो भुगतान किया गया था, वह विदेश से था। इसके द्वारा मश्कौर से प्राप्त राशि। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर रखी गई सामग्री स्पष्ट रूप से इस स्थिति को मजबूत करेगी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि, किसी भी मामले में, त्रिपक्षीय समझौते के खंड 14.1 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इस तरह से भुगतान की गई राशि का भुगतान मश्कोर द्वारा विदेशों में किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और विशेष रूप से मांग नोटिस और उसके जवाब से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि "विवाद का अस्तित्व" था और इस तरह, एनसीएलटी ने याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला है और अपील की अनुमति दी है और धारा 9 याचिका को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. के तहत निर्णय लेने वाले अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र सीमित है और यह केवल उन सीमित क्षेत्रों पर निर्णय ले सकता है जो क़ानून में वर्णित हैं।

केय बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

11. श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी-विदेशों में, इसके विपरीत, दावा करता है कि जो राशि के बोवेट को दी गई थी, वह राशि विदेशों के कोष से दी गई थी न कि मश्कोर से। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि के बोवेट ने विदेशों से राशि प्राप्त करने की बात स्वीकार की है और एक बार जब पक्ष कोई दावा स्वीकार कर लेता है, तो यह आईबीसी की धारा 5 की उप-धारा (21) के तहत परिभाषित "परिचालन ऋण" की परिभाषा में आएगा और जिस पक्ष को आईबीसी की धारा 9 के तहत कार्यवाही दायर करने के लिए प्रवेश दिया जाता है, वह सक्षम होगा। " परिचालन लेनदार "। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रावधानों पर सही विचार किया और विदेशी लोगों की अपील को अनुमति दी और धारा 9 याचिका को स्वीकार करने का निर्देश दिया। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए।

12. यद्यपि, दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील

मामले के अन्य पहलुओं में गए बिना एक छोटे से आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। आई. बी. सी. की धारा 8 और 9 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" 8. परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान। — (1) अ. परिचालन लेनदार, एक डिफ़ॉल्ट की घटना पर, एक वितरित कर सकता है

एक चालान की अवैतनिक परिचालन देनदार प्रति की मांग सूचना

निगमित ऋणी ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए। (2) निगमित देनदार, मांग सूचना या उप-धारा (1) में उल्लिखित चालान की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों की अवधि के भीतर परिचालन लेनदार के ध्यान में लाएगा।

(क) ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान की प्राप्ति से पहले दायर किए गए विवाद, [यदि कोई हो, या] मुकदमे की लंबितता या मध्यस्थता कार्यवाही का रिकॉर्ड; (ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का [भुगतान]

(i) बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर

निगमित देनदार; या

(ii) रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि परिचालन लेनदार ने निगम द्वारा जारी किए गए चेक को भुनाया है। ऋणी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांग सूचना" का अर्थ है एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को उस परिचालन ऋण के [भुगतान] की मांग करने वाली सूचना, जिसके संबंध में चूक हुई है।

9. प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन। — (1) धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से दस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान या धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन लेनदार

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करें। (2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन इस प्रकार दायर किया जाएगा -

प्रपत्र और रीति और उसके साथ ऐसा शुल्क जो विहित किया जाए।

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(क) प्रचालन लेनदार द्वारा निगम को भुगतान या मांग सूचना की मांग करने वाले चालान की एक प्रति

कर्जदार;

(ख) इस आशय का शपथ पत्र कि निगमित देनदार द्वारा अवैतनिक ऋण के विवाद के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

परिचालन ऋण;

(ग) वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति परिचालन लेनदार के खातों को बनाए रखना यह पुष्टि करता है कि एक अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं है [द्वारा

निगमित देनदार, यदि उपलब्ध हो;]

[(घ) सूचना उपयोगिता के साथ किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति जो यह पुष्टि करती है कि किसी अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

निगमित देनदार, यदि उपलब्ध हो; और]

[(ई) कोई अन्य प्रमाण जो यह पुष्टि करता है कि निगमित देनदार या ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किए गए परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है। अन्य जानकारी, जो विहित की जाए।] वेट इंजीनियरिंग लिमिटेड।

) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण चौदह दिनों के भीतरई उप-धारा (2) के तहत आवेदन की रसीद, एक आदेश द्वारा

(i) आवेदन स्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार यदि -

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन पूरा हो गया है;

(ग) निगमित देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन लेनदार द्वारा दिया गया है; (घ) प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

सूचना उपयोगिता; और

(ङ) उप-धारा के तहत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(4) , यदि कोई हो।

((ii) आवेदन को अस्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें। प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार के लिए, यदि

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन है -

अपूर्ण;

(ख) अवैतनिक परिचालन का [भुगतान] किया गया है

ऋण;

(ग) लेनदार ने चालान या नोटिस नहीं दिया है।

निगमित देनदार को भुगतान के लिए; (घ) परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या जानकारी में विवाद का रिकॉर्ड है।

उपयोगिता; या

(ई) किसी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवरः

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अस्वीकार करने से पहले

खंड (ii) के उपखंड (क) के तहत एक आवेदन [2021] 8 एस. सी. आर. देता है।

ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

इस धारा की उप-धारा (5) के तहत।

13. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि

" कार्यात्मक लेनदार को, चूक होने पर, अवैतनिक "कार्यात्मक ऋण" की "मांग सूचना" या चालान की एक प्रति देने की आवश्यकता होती है, जिसमें चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग "कॉर्पोरेट देनदार" को ऐसे रूप और तरीके से की जाती है जो निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह की "मांग सूचना" या चालान की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, " निगमित ऋणदाता को या तो "परिचालन ऋणदाता" के "विवाद के अस्तित्व" के बारे में सूचित करना चाहिए या अवैतनिक "परिचालन ऋण" का भुगतान निर्धारित तरीके से करना चाहिए। इसके बाद, आई. बी. सी. की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान के वितरण की तारीख से 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद और यदि -

14. मुद्दा अब समाकलन का नहीं है। मोबिलॉक्स के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 38 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड 1:

" 38. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां तक एक परिचालन लेनदार का संबंध है, एक अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग सूचना या शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान की प्रति निर्धारित प्रपत्र में दी जानी चाहिए। इसके बाद निगमित देनदार को मांग सूचना या चालान की प्रति की प्राप्ति से 10 दिनों की अवधि दी जाती है ताकि उसे परिचालन के बारे में सूचित किया जा सके। लेनदार एक विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो। हमने 2015 के दिवाला और दिवालियापन विधेयक के साथ संलग्न खंडों पर नोट भी देखे हैं, जिसमें केवल "विवाद के अस्तित्व" का उल्लेख किया गया है। अन्यथा भी, धारा 8 (2) (ए) में आने वाला शब्द "और" अनिवार्य है।

1 1 (2018) 1 एस. सी. सी. 353 के. ए. वाई. बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

जिस मामले में, हालांकि कोई विवाद मौजूद हो सकता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत से संपर्क करने का कोई समय नहीं है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि लंबी सीमा अवधि की अनुमति है, जहां विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और तीन साल तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे व्यक्ति धारा 8 (2) के दायरे से बाहर होंगे जिससे उनके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस तरह की विसंगति का संभवतः इरादा नहीं हो सकता था न ही विधायिका का ऐसा इरादा रहा है। हमने यह भी देखा है कि परिचालन ऋण संहिता के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे ऋणों की राशि, जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों की तुलना में कम होती है, परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने या बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं बनाती है। यही कारण है कि यह पर्याप्त है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है।

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आई. बी. सी. का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

ऐसे ऋण, जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों की तुलना में छोटे होते हैं, परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने या बाहरी ऋण के लिए प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं बनाते हैं।

विचार करें। यह माना गया है कि यह इस कारण से है कि यह पर्याप्त है

कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है।

16. आगे मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें

इस न्यायालय ने "अस्तित्व", "वास्तविक विवाद" शब्दों पर विचार किया है और

" वास्तविक दावा "और उक्त शर्तों का अर्थ लगाने वाले विभिन्न प्राधिकरणः

" 45. "अस्तित्व" अभिव्यक्ति को इस प्रकार समझा गया हैः " संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश निम्नलिखित अर्थ देता हैः

"अस्तित्व" शब्द काः

(क) वास्तविकता, विपरीत रूप में। दिखने के लिए। (ख) अस्तित्व का तथ्य या स्थिति; अस्तित्व का वास्तविक अधिकार। एक जीवित प्राणी, जीवन, विशेष रूप से बने रहे। प्रतिकूल के तहत

शर्तें।

कुछ जो मौजूद है; एक अस्तित्व, एक अस्तित्व। वह सब जो मौजूद है। (पी. 894, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी) "

46. दो अत्यंत शिक्षाप्रद निर्णय, एक ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का और दूसरा यू. के. में चांसरी डिवीजन का, संहिता की धारा 8 (2) (ए) में निहित "विवाद का अस्तित्व" अभिव्यक्ति पर बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फैसले को स्पेंसर कंस्ट्रक्शंस पीटीवाई लिमिटेड बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। जी एंड

एम एल्ड्रिज पीटीवाई लिमिटेड. [स्पेंसर कंस्ट्रक्शंस पीटीवाई लिमिटेड बनाम. जी एंड एम एल्ड्रिज पीटीवाई लिमिटेड, 1997 एफसीए 681 (ऑस्ट)] ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय को निगम कानून की धारा 459-एच का अर्थ लगाना पड़ा, जो निम्नानुसार हैः

" (1) ***

(क) कि कंपनी के बीच एक वास्तविक विवाद है।

और ऋण के अस्तित्व या राशि के बारे में प्रत्यर्थी

जिससे मांग संबंधित है;

(ख) * * * "

47. "वास्तविक विवाद" शब्द का अर्थ तब निम्नलिखित माना गया थाः

“ फिन, जे. मैकलेलैंड, सी. जे. द्वारा दिए गए "वास्तविक विवाद" के स्पष्टीकरण को अपनाने के लिए संतुष्ट थे।

लिमिटेड वी. हनवे पीटीवाई लिमिटेड. [इयोटा पीटीवाई लिमिटेड बनाम। हनवे पीटीवाई लिमिटेड, (1994) 12 एसीएसआर 785 (ऑस्ट)] एसीएसआर पी। 787 जहाँ उनका सम्मान है उन्होंने कहाः

' मेरी राय में [यह] अभिव्यक्ति एक प्रशंसनीय विवाद को इंगित करती है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है, और बहुत हद तक उसी तरह के विचारों को उठाती है जैसे "गंभीर प्रश्न का परीक्षण किया जाना" मानदंड जो एक वार्ताकार के लिए आवेदन पर उत्पन्न होता है। निषेधाज्ञा या किसी चेतावनी के विस्तार या हटाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को बिना किसी आलोचना के एक वास्तविक विवाद को जन्म देने के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

हलफनामा 'हालांकि अस्पष्ट, सटीकता में कमी,

निर्विवाद समकालीन दस्तावेजों या एक ही प्रतिनिधि द्वारा अन्य बयानों के साथ असंगत, या स्वाभाविक रूप से और अपने आप में संभावित, हो सकता है कि इसमें 'पर्याप्त प्राथमिकता' न हो।

[इसकी] सच्चाई के रूप में आगे की जांच के लिए प्रत्यक्ष रूप से संभाव्यता '(सी. एफ. एंग मी योंग बनाम। लेटचुमानन [एंग मी योंग बनाम।

ओयूवीईटी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

लेटचुमानन, 1980 ए. सी. 331: (1979) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 373 (पी. सी.)] पी. पर एसी। 341 जी), या 'स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या एक

साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्यों का दावा ': सी. एफ. साउथ

ऑस्ट्रेलिया बनाम. दीवार [दक्षिण ऑस्ट्रेलिया बनाम। वॉल, (1980) 24

एस. ए. एस. आर. 189 (ऑस्ट)] एस. ए. एस. आर. पी. 194. '

उनके सम्मान ने लिंडग्रेन, जे. के निर्णय का भी उल्लेख किया।

रोहालो फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड [रोहालो फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम. आर. पी. शेरर, (1994) 15 ए. सी. एस. आर. 347 (ऑस्ट)] जहाँ, पी. 353 , उनके सम्मान ने कहाः

' [धारा 459-एच (1) और (5) के प्रावधान] यह मानते हैं कि

विवाद और क्षतिपूर्ति दावे का एक "उद्देश्य" होता है।

अस्तित्व जिसकी वास्तविकता होने में सक्षम है

मूल्यांकन किया गया। "असली" शब्द को "असली" में शामिल किया गया है "विवाद"] यह चेतावनी देने के लिए कि गंभीर विवादों और दावों का प्रस्ताव अपेक्षित है लेकिन आवश्यक है

विचार से बहिष्कृत किया जाए। '

इस न्यायालय और राज्य के सर्वोच्च न्यायालयों में एकल न्यायाधीशों के कई निर्णय हुए हैं जिन्होंने विभिन्न तरीकों से विश्लेषण किया है कि क्या निगम कानून की धारा 459-एच के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक विवाद" है या नहीं। यह स्पष्ट है कि

एक सांविधिक मांग को दरकिनार करने के लिए आवेदनों पर विचार करते हुए, एक अदालत तथ्य या कानून के विवादित मुद्दों का निर्धारण नहीं करेगी जिनका एक महत्वपूर्ण या पर्याप्त आधार है। इस तरह के सूत्र पाए जाते हैं

के रूप में:

“ ... कम से कम ज्यादातर मामलों में, यह उम्मीद नहीं की जाती है कि अदालत यह निर्धारित करने के लिए कोई विस्तारित जांच शुरू करेगी कि क्या पक्षों के बीच कोई वास्तविक विवाद है और निश्चित रूप से उस विवाद के गुण-दोष पर विचार करने का प्रयास नहीं करेगी। कानून के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि अदालत निष्कर्ष निकाले

कि एक विवाद है और यह एक वास्तविक विवाद है।

मिबोर इन्वेस्टमेंट्स पीटीवाई लिमिटेड बनाम देखें। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया [मिबोर इन्वेस्टमेंट्स पीटीवाई लिमिटेड v. कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, (1993) 11 एसीएसआर 362 (ऑस्ट)] पीपी

पर एसीएसआर। 366-67 , इसके बाद रयान, जे. मोयल इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सफेद [मोयल निवेश सेवाएँ पीटीवाई

लिमिटेड वी. सफेद, (1993) 12 एसीएसआर 320 (ऑस्ट)] पी पर एसीएसआर। 324 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अन्य सूत्र निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है:

' यह स्पष्ट है कि सभी मामलों में जो आवश्यक है वह कुछ न कुछ है

केवल दावा और सबूत के बीच जो होगा

कानून की अदालत में आवश्यक। केवल दावा करने से कुछ अधिक की आवश्यकता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो कोई भी

केवल यह कह सकता था कि उस पर कोई ऋण नहीं था।

जॉन हॉलैंड कंस्ट्रक्शन और एंग देखें। पीटीवाई

लिमिटेड वी. किलपैट्रिक ग्रीन पीटीवाई लिमिटेड. [जॉन हॉलैंड कंस्ट्रक्शन एंड इंग। पीटीवाई लिमिटेड वी. किलपेट्रिक ग्रीन पीटीवाई

लिमिटेड, (1994) 12 एसीएलसी 716 (ऑस्ट)] एसीएलसी पी। 718 , इसके बाद नॉर्थरोप, जे. इन एक्वाटाउन पीटीवाई लिमिटेड बनाम। होल्डर स्ट्रौड पीटीवाई

लिमिटेड [एक्वाटाउन पीटीवाई लिमिटेड बनाम। होल्डर स्ट्रॉड पीटीवाई लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय, 25-6-1996, अनरिपोर्टेड]

मॉरिस कैटरिंग (ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई लिमिटेड में [मॉरिस कैटरिंग (ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई लिमिटेड, इन री, (1993) 11 एसीएसआर 601 (ऑस्ट)] पी पर ए. सी. एस. आर. 605 , थॉमस, जे ने कहा:

' इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 3 का उद्देश्य एक पूर्ण संहिता होना है जो एक सूत्र निर्धारित करता है जिसमें न्यायालय को पक्षों के बीच स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता होती है, और उन मांगों को संरक्षित किया जाता है जहां यह देखा जा सकता है कि कोई नहीं है।

वास्तविक विवाद और कोई पर्याप्त वास्तविक प्रतिपूर्ति दावा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत गुण-दोष की जांच करेगी या विवाद का निपटारा करेगी। अदालत की जाँच की निर्दिष्ट सीमाएँ यह पता लगाना है कि क्या कोई "वास्तविक विवाद" है और क्या कोई विवाद है।

" वास्तविक दावा "।

अक्सर नकली को पहचानना और केवल बड़बोलेपन या दावे की पहचान करना संभव होता है। लेकिन वास्तविकता (या इसकी कमी) की धारणा से परे अदालत का कोई कार्य नहीं है।

यह समझना उपयोगी नहीं है कि एक पक्ष के दूसरे की तुलना में सफल होने की अधिक संभावना है, या कि पक्षों के बीच खाते की अंतिम स्थिति एक होने की अधिक संभावना है।

दूसरे की तुलना में परिणाम। आवश्यक कार्य की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल है

दावे का वास्तविक स्तर (इसका संभावित परिणाम नहीं) और प्रतिपूर्ति दावे के वास्तविक स्तर की पहचान करने के लिए (न कि

संभवतः इसका परिणाम) '। ओयूवीईटी इंजीनियरिंग लिमिटेड।

वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

स्कैनहिल पीटीवाई लिमिटेड बनाम। सेंचुरी 21 ऑस्ट्रेलेशिया पीटीवाई लिमिटेड [स्कैनहिल पीटीवाई लिमिटेड बनाम। सेंचुरी 21 ऑस्ट्रेलेशिया पीटीवाई लिमिटेड, (1993) 12 एसीएसआर 341 (ऑस्ट)] एसीएसआर पी। 357 जे. बीज़ली ने कहाः

' ..... धारा 459-एच के प्रयोजनों के लिए आवेदन किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय संतुष्ट है कि कोई गंभीर मामला है।

यह प्रश्न विचारण के लिए कि आवेदक का प्रतिपूर्ति दावा है। '

इंडस्ट्रीज (साउथ कोस्ट) पीटीवाई लिमिटेड बनाम संघनक वाष्पीकरणकर्ता पीटीवाई लिमिटेड, (1994) 13 एसीएसआर 37 (ऑस्ट)] एसीएसआर पी। 39 , लॉकहार्ट, जे. ने कहाः

' ..... सभी निर्णयों से जो बात स्पष्ट रूप से पर्याप्त दिखाई देती है वह यह है कि संतुष्टि का एक मानक जिसकी अदालत को आवश्यकता होती है वह विशेष रूप से उच्च नहीं है। मैं वर्तमान उद्देश्यों के लिए किसी भी मानक को अपनाने के लिए संतुष्ट हूं जो में संदर्भित हैं

मामले। सीमा में से सबसे ऊँचा शायद बीज़ली, जे. द्वारा प्रतिपादित परीक्षण है, हालाँकि अपने लिए मैं उस परीक्षण और उस में दिए गए बयानों के बीच कोई विसंगति नहीं समझता।

अन्य मामले जिनका मैंने उल्लेख किया है। हालांकि,

बीज़ली, जे. के परीक्षण का अनुप्रयोग इसके अनुसार अलग-अलग होगा

मामले की परिस्थितियाँ।

निश्चित रूप से न्यायालय यह देखने के अलावा विवाद के गुण-दोष की जांच नहीं करेगा कि क्या वास्तव में कोई वास्तविक विवाद है। इस संदर्भ में "वास्तविक विवाद" की धारणा से मुझे पता चलता है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि एक ऐसा विवाद है जो स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला या तुच्छ नहीं है। यह संतुष्ट होना चाहिए कि

एक दावा है जिसमें कुछ सार हो सकता है। '

मनोर पीटीवाई लिमिटेड बनाम। वुडलॉक, (1994) 48 एफ. सी. आर. 229 (ऑस्ट)] नॉर्थरोप, जे. थॉमस, जे. मॉरिस कैटरिंग (ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई लिमिटेड, इन री [मॉरिस कैटरिंग (ऑस्ट्रेलिया) पीटीवाई लिमिटेड, इन री, (1993) 11 एसीएसआर 601 (ऑस्ट)] एसीएलसी में पी। 922 और हेयने, जे. इन मिबोर इन्वेस्टमेंट्स पीटीवाई लिमिटेड बनाम। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया [मिबोर]

इन्वेस्टमेंट्स पीटीवाई लिमिटेड बनाम कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, (1993) 11 एसीएसआर 362 (ऑस्ट)], जहाँ उन्होंने "वास्तविक" की शब्दकोश परिभाषा को इस संदर्भ में "नकली नहीं. वास्तविक या सत्य" होने के रूप में नोट किया और निष्कर्ष निकाला (पी। 234):

' यद्यपि यह सत्य है कि न्यायालय, धारा 459-जी और 459-एच के तहत एक आवेदन पर इस प्रश्न पर निर्णय लेने का हकदार नहीं है कि कोई दावा सफल होगा या नहीं, यह संतुष्ट होना चाहिए कि ऋण के अस्तित्व के बारे में कंपनी और प्रतिवादी के बीच एक वास्तविक विवाद है। यदि यह दिखाया जा सकता है कि एक वास्तविक विवाद के अस्तित्व के समर्थन में तर्क का कोई संभावित आधार नहीं हो सकता है, तो मेरे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक वास्तविक विवाद है। इसमें, अपने आप में, इस बात का निर्धारण शामिल नहीं है कि दावा सफल होगा या नहीं, बल्कि यह विवाद की वास्तविकता पर जाता है, यह दिखाने के लिए कि यह वास्तविक है या सच है, न कि केवल

नकली '।

हमारे विचार में एक "वास्तविक" विवाद की आवश्यकता है कि:

((i) विवाद प्रामाणिक हो और वास्तव में मौजूद हो।

((ii) विवाद के अस्तित्व का आरोप लगाने के आधार वास्तविक हैं और नकली, काल्पनिक, भ्रामक या गलत धारणा वाले नहीं हैं।

हम मानते हैं कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न सूत्रीकरण यह निर्धारित करने में सहायक हो सकते हैं कि क्या किसी विशेष मामले में कोई वास्तविक विवाद है, जब तक कि उपयोग किया गया सूत्रीकरण इसका विकल्प नहीं बन जाता है।

कानून के शब्द।

9999

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक बार "परिचालन लेनदार" ने एक आवेदन दायर कर दिया है जो अन्यथा पूरा हो गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (ii) (डी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना पड़ता है, यदि "परिचालन लेनदार" द्वारा कोई नोटिस प्राप्त किया गया है या यदि इसका कोई रिकॉर्ड है

सूचना उपयोगिता में विवाद। जो आवश्यक है वह यह है कि द्वारा

"निगमित देनदार" को किसी विवाद के अस्तित्व या इस तथ्य को कि किसी विवाद से संबंधित मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही पक्षों के बीच लंबित है, "परिचालन लेनदार" के ध्यान में लाना चाहिए। यह सब

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि विवाद स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है। भूसी से अनाज को अलग करना और नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो केवल एक दिखावा है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हालांकि, इस स्तर पर,

न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है या नहीं।

द कोर्ट के बुवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

यहाँ ऊपर इंगित सीमा के अलावा विवाद के गुण-दोष में भी नहीं जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तब तक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आवेदन को अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

18. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में कहा गया है

इसके अलावा, हमें वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करनी होगी। हम स्पष्ट करते हैं कि हालांकि इस सवाल के संबंध में बार में तर्क दिए गए हैं कि क्या विदेशों द्वारा किए गए तथाकथित दावे को "परिचालन ऋण" माना जाएगा और क्या विदेशों को "परिचालन ऋणदाता" माना जा सकता है, हम ऐसा करते हैं।

उक्त प्रश्नों में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान अपील का निर्णय केवल एक छोटे से प्रश्न पर किया जा सकता है कि क्या के बोवेट "विवाद के अस्तित्व" का मामला बनाने की स्थिति में हैं या नहीं। नहीं।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, 23 नवंबर 2017 की मांग सूचना/चालान का उल्लेख करना उचित होगा।

ओवरसीज द्वारा के बोवेट को संबोधितः

" 7. मश्कौर द्वारा ई. पी. सी. अनुबंध की समाप्ति के कारण, त्रिपक्षीय उप-अनुबंध भी उक्त उप-अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 15.2 के आधार पर स्वचालित रूप से समाप्त हो गया। 8. 14 जुलाई 2017 को या उसके आसपास, निगमित देनदार ने उक्त प्रस्ताव की सूचना के जवाब में 2017 के वाद (1) संख्या 382 में 2017 के प्रस्ताव की सूचना (एल) संख्या 1314 में 14 जुलाई 2017 को अपना हलफनामा दायर किया (जिसे इसके बाद "उक्त उत्तर" के रूप में संदर्भित किया गया है)। उक्त उत्तर में, कॉर्पोरेट देनदार ने स्पष्ट रूप से कहा है और स्वीकार किया है कि मश्कौर ने अब

परिचालन लेनदार ने 5 जुलाई 2017 के ई. पी. सी. अनुबंध के तहत उक्त परियोजना के लिए खुद कॉर्पोरेट देनदार को अपने ई. पी. सी. ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया। नतीजतन, 18 अप्रैल 2010 को मश्कौर, कॉर्पोरेट देनदार और परिचालन लेनदार के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध को नष्ट कर दिया गया और मश्कौर और कॉर्पोरेट देनदार के बीच किए गए नए अनुबंध द्वारा रद्द कर दिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए निगमित ऋणदाता 18 अप्रैल, 2010 को मश्कौर, निगमित ऋणदाता और परिचालन ऋणदाता के बीच हुए उक्त त्रिपक्षीय अनुबंध के तहत अब कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि इसे 5 जुलाई, 2017 को मश्कौर और निगमित ऋणदाता के बीच किए गए नए अनुबंध द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

21] 8 एस सी आर।

9. अतः प्रचालन ऋणदाता का कहना है कि उक्त उत्तर में निगमित ऋणदाता की स्वीकृति के आलोक में, निगमित ऋणदाता प्रचालन ऋणदाता को उक्त अग्रिम राशि को तुरंत वापस करने के लिए उत्तरदायी है। परिचालन ऋणदाता आगे कहता है कि उक्त अग्रिम राशि 5 जुलाई 2017 को या उसके आसपास कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा परिचालन ऋणदाता को धनवापसी के रूप में देय और देय हो गई, यानी जिस तारीख को कॉर्पोरेट ऋणदाता को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मश्कोर।

10. इसलिए निगमित देनदार ने धनवापसी में चूक की है।

उक्त अग्रिम राशि "

20. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ओवरसीज का दावा यह है कि के बोवेट द्वारा अपने नोटिस ऑफ मोशन में दायर जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि

मश्कौर ने ओवरसीज के स्थान पर के बोवेट को ठेकेदार नियुक्त किया है। इस प्रकार, 18 दिसंबर 2010 का त्रिपक्षीय समझौता दूषित हो गया है और रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार, के बोवेट उक्त त्रिपक्षीय समझौते के तहत प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ओवरसीज के अनुसार, इसलिए, जवाब में स्वीकारोक्ति को देखते हुए, के बोवेट अग्रिम राशि को तुरंत वापस करने के लिए उत्तरदायी है। 21. के बोवेट द्वारा विदेशों को संबोधित 6 दिसंबर 2017 के उत्तर का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

आई. बी. सी. की धारा 8 की उप-धारा (2) का खंड (ए):

कंपनी लिमिटेड (इसके बाद मश्कौर) पक्षों के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार। हम कहते हैं कि इसके बाद मश्कौर ने आपके साथ उनके दिनांकित पत्र 17.05.2017 के माध्यम से एक समझौते को समाप्त कर दिया है और इसलिए के बोवेट पर मौद्रिक दायित्व है। ओ. आई. ए. की ओर।

4. हम बताते हैं कि 05.07.2017 पर मश्कौर ने की बोवेट के साथ एक नया अनुबंध किया है। उक्त समझौते में मश्कौर ने अमेरिकी डॉलर 10.62 मिलियन के पहले के अग्रिम भुगतान पर विचार किया है।

Rs.47,12,10,000/- (47 करोड़ बारह लाख दस हजार रुपये केवल) के बराबर है जो मश्कौर से की बुवेट के लिए बनाया गया है। के बोवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड में के बोवेट के पक्ष में नए अनुबंध का निष्पादन।

वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

तरीका के बोवेट पर धनवापसी के लिए एक स्वचालित देयता बनाता है

कोई भी राशि। ऐसी कोई कानूनी और संविदात्मक मौद्रिक व्यवस्था नहीं है।

ओ. आई. ए. और के बोवेट के बीच दायित्व। बहुत ही अवलोकन "ऋण" और "परिचालन लेनदारों" की परिभाषा

मश्कौर द्वारा आपके साथ अनुबंध की उस समाप्ति को स्थापित करें ओ. आई. ए. के प्रति की बुवेट से देय कोई ऋण नहीं बनता है।

इसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि के बोवेट एक परिचालन लेनदार है।

ओ. आई. ए. की ओर।

5. हम कहते हैं कि, के वाद (एल) संख्या 382 में अभिवचनों के अनुसार

2017 , आपने अमेरिकी डॉलर की राशि जारी करने के लिए राहत मांगी है।

10,745,000 / - 2 मार्च 2014 के समझौते के पत्र के तहत।

इसके बाद अस्तित्व के विवाद का अस्तित्व है

आपके द्वारा दावा की गई ऋण राशि। ऐसी स्थिति में आपकी मांग

नोटिस गलत, अवैध और प्रावधानों पर विचार करते हुए कानून में खराब है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और विशेष रूप से धारा 5 (6), धारा 9 (5) (i) (d) और धारा 9 (5) (ii) (d)।

[जोर दिया गया]

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि के बोवेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि

उक्त राशि Rs.47,12,10,000/- अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त हुई थी

मश्कौर की ओर से। यह विशेष रूप से कहा गया है कि 5 जुलाई को मश्कौर और के बोवेट के बीच हुए समझौते में

2017 , Rs.47,12,10,000/- के उक्त अग्रिम भुगतान पर विधिवत विचार किया गया है। यह कहा गया है कि के बोवेट के पक्ष में नए अनुबंध का निष्पादन किसी भी तरह से के बोवेट पर एक स्वचालित दायित्व पैदा नहीं करता है। इस प्रकार, के बोवेट ने विदेशों द्वारा की गई मांग का विरोध करने के लिए "विवाद के अस्तित्व" को सेवा में लगाया है।

23. हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या के का दावा

"विवाद के अस्तित्व" के संबंध में बुवेट को वह माना जा सकता है जो नकली, भ्रामक या किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। त्रिपक्षीय समझौते के खंड 14.1 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

दिनांक 18 दिसंबर 2010, मश्कौर, ओवरसीज और के बोवेट के बीचः

" 1. 10 % उप अनुबंध मूल्य का ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान के रूप में

सीधे बैंक खाते में तार हस्तांतरण के माध्यम से उप-ठेकेदार चालान और अग्रिम जमा करने के खिलाफ

उप अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के लिए भुगतान बैंक गारंटी,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई भी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो मश्कौर को स्वीकार्य हो

21] 8 एस सी आर।

एक्जिम बैंक से राशि। अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी इसके साथ संलग्न प्रारूप (मांग गारंटी के लिए समान नियम, प्रकाशन No.758, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल) के अनुसार होगी और इसका मूल्य चालान की गई राशि के मूल्य के अनुपात में कम किया जा सकता है जैसा कि प्रेषण द्वारा प्रमाणित किया गया है।

दस्तावेज और एक्जिम बैंक से भुगतान की प्राप्ति।

24. विदेशों से मश्कौर तक 29 मार्च 2011 के ई-मेल का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक होगाः

" 1. मश्कौर चीनी कंपनी कारखाने के डी. डी. ई. के खिलाफ ओ. आई. ए. को 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (9 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के दो चालानों का भुगतान जारी करेगी।

+ USD 1.50M)।

2. ओ. आई. ए. मश्कौर को अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने और इसकी पुष्टि करने और स्वीकार करने पर के बोवेट को यू. एस. डी. 10.62 मिलियन का भुगतान जारी करेगा।

मश्कौर और ओ. आई. ए. बैंक की 7.5 लाख अमरीकी डॉलर की गारंटी का निर्वहन।

3. मश्कौर अमेरिकी डॉलर 4.375 मिलियन (अमेरिकी डॉलर 3.50M + अमेरिकी डॉलर 0.875M) के दो चालानों का दूसरा भुगतान जारी करेगा। ओ. आई. ए. को सिविल कार्य। 4. ओ. आई. ए. ओ. आई. ए. और सिविल के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सिविल ठेकेदार को यू. एस. डी. <आई. डी. 1 मिलियन का अग्रिम भुगतान जारी करेगा।

ठेकेदार और इसके बारे में मश्कौर से पुष्टि होने पर अनुबंध के अनुसार सिविल ठेकेदार की स्वीकृति या एबीजी/पीबीजी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और भेजें।

एक्जिम को प्राधिकरण पत्र। "

माशकौर को अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना और इसकी पुष्टि और स्वीकृति मश्कोर।

26. 21 अप्रैल, 2011 को एक्ज़िम बैंक द्वारा विदेशियों को संबोधित किए गए पत्र का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगाः

" भारत सरकार ने सूडान सरकार की मंजूरी संख्या 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक्ज़िम बैंक की लाइन ऑफ़ क्रेडिट का समर्थन किया। एक्जिम/जीओआईएलओसी-82 /

1.संवितरण सलाहः 3 .

वाई बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

हम सलाह देते हैं कि Rs.46,58,75,853/- की राशि दी गई है।

आर. टी. जी. एस. कोड-आई. ओ. बी. ए. 0000543 के माध्यम से इंडिया ओवरसीज बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को भेजे गए

ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। वितरण मास्कोर शुगर कंपनी, सूडान और ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध के खिलाफ किया जाता है। संवितरण का विवरण इस प्रकार हैः

आम्ट। डॉलर

में

योग्य मूल्य

संवितरण चालान मूल्य

शुद्ध प्रेषित

मूल्य

(CIF) 100%

तिथि

नहीं।

100 %

15,000, 000.00

अ

प्रैल

10,500, 000.00 10,476, 781.85

2

1

8 ,

2

011

2. संवितरण का विभाजन इस प्रकार हैः

अमेरिकी डॉलर

योग्य मूल्य

10,500, 000.00

465,911, 250.00

कम।

23, 218.15

10,30, 247.00

बातचीत

शुल्क

(सेवा कर) मुद्रा रूपांतरण सीएचजी।

110.00

और सेवा कर

46,48,80, 893.00

10,476, 781.85

शुद्ध प्रेषण

3. कृपया क्रेडिट की प्राप्ति की पुष्टि करें "।

[जोर दिया गया]

27. यह आगे संचार को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा।

उसी तारीख को मश्कौर के लिए ओवरसीज़ द्वारा लिखा गयाः

“ हमें 10.05 मिलियन की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है।

कड़ी मंजूरी के कारण एक्ज़िम बैंक ने भारतीय रुपये में अमरीकी डॉलर का निवेश किया

विदेशी संपत्ति के संयुक्त राज्य कार्यालय द्वारा प्रवेश

इसके साथ संलग्न पत्र के अनुसार नियंत्रण (ओ. एफ. ए. सी.)। द.

राशि हमें रुपये में वितरित की गई है। 44.37 प्रति संवितरण इसके साथ संलग्न एक्ज़िम बैंक की सलाह।

इसके अलावा ओ. आई. ए. यू. एस. डी. 10.62 मिलियन का भुगतान जारी करेगा।

मश्कौर चीनी कंपनी को प्रदर्शन बैंक गारंटी और इसकी पुष्टि और स्वीकार्यता माशकोर शुगर द्वारा की गई

कंपनी और ओ. आई. ए. बैंक की 7.5 अमेरिकी डॉलर की गारंटी का निर्वहन

श्री घोडगांकर का मिलियन (डाक दिनांक 29.03.2011 के अनुसार)।

[जोर दिया गया]

28. द्वारा संबोधित 28 जुलाई, 2011 का पत्र

कौर टू ओवरसीज स्थिति को और स्पष्ट करेगा जो पढ़ता है

उपरोक्त के आलोक में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मश्कौर को संबोधित 21.04.2011 के पत्र के अनुसार उप-अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत जारी करें। निम्नलिखित रूप में जारी किया जाने वाला भुगतानः

लाभार्थी का नाम -

मेसर्स के बोवेट

इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

बैंक का नाम

मेसर्स बैंक ऑफ

महाराष्ट्र, सतारा,

शहर शाखा

आईएफएससी कोड

एमएएच 80000134

:

खाता सं।

60018168457

:

भुगतान का तरीका

आरटीजीएस

+ Rs.47,12,10,000/- की राशि (केवल सैंतालीस करोड़ बारह लाख दस हजार रुपये)

जैसे ही हमें भुगतान जारी करने के संबंध में आपकी ओर से पुष्टि मिलती है, हम आपकी बैंक गारंटी 7.5 अमरीकी डॉलर जारी कर देंगे।

लाखों।

वाई बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.]

जैसा कि मैंने आज श्री सुरेश के साथ चर्चा की, मैं मूल के साथ भारत में रहूंगा।

पिछले सप्ताह की शुरुआत में बैंक गारंटी का निर्वहन।

[जोर दिया गया]

29. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि के बोवेट के पास निश्चित था

21 सितंबर 2011 को के द्वारा संबोधित संचार, विनिमय के कारण कम धन के भुगतान के संबंध में

और मश्कौर उक्त स्थिति को स्पष्ट करेंगे जो इस प्रकार हैः

" हमें मेसर्स द्वारा Rs.47,12,10,000/- का भुगतान किया गया है। विदेशों में

इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) लिमिटेड 30 अगस्त 2011 को समतुल्य

USD 10.62 मिलियन में परिवर्तित 1 USD @रु। 44.37/-, जबकि

उस दिन संलग्न सूची के अनुसार रूपांतरण दर थी

1 अमेरिकी डॉलर-रु। 46.26/-, तो राशि होगी

Rs.49,12,08,012/-, इसलिए उन्होंने कम राशि का भुगतान किया है

रु. 1,99,98,012/-।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ओ. आई. ए. को राशि जारी करने की सलाह दें।

रुपये. 1,99,98,012/- बिना किसी देरी के हमें। 30. विदेशी के मामले में अंतिम कील में होगा

सूडान के राजदूत द्वारा संबोधित संचार का ई

कौर दिनांक 25 अप्रैल 2017, जो इस प्रकार हैः

" पहले के पत्राचार के संदर्भ में, हमें प्राप्त हुआ है

डी. ओ. सं. 1425/सचिव (ई. आर.)/2017 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 से

श्री अमर सिन्हा, सचिव (आर्थिक संबंध) मंत्रालय

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, भारत तेजी ला रहा है

विदेशी बुनियादी ढांचे के साथ समझौते की समाप्ति एलायंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ओ. आई. ए.) और एक समझौता

के बोवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड (के. बी. ई. एल.) के साथ हस्ताक्षर किए गए

भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के अप्रयुक्त हिस्से के लिए ठेकेदार

माशकौर चीनी परियोजना के लिए अमेरिकी डॉलर 150,000,000 के लिए।

यह रिकॉर्ड में है कि Rs.47,12,10,000/- (अमेरिकी डॉलर) का योग

10.62 मिलियन) ओ. आई. ए. द्वारा के बोवेट इंजीनियरिंग को भुगतान किया गया था।

माशकौर शुगर कंपनी की ओर से "के. बी. ई. एल".

एक्ज़िम बैंक द्वारा ओ. आई. ए. को पहली संवितरण से जारी की गई धनराशि

25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की किश्त। के साथ संशोधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कृपया एक नोट बनाएँ

के. बी. ई. एल. कि अमेरिकी डॉलर की उपरोक्त राशि 10.62 के बोवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा [2021] 8 एस. सी. आर. के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मश्कौर शुगर कंपनी लिमिटेड को की जाने वाली आपूर्ति

परियोजना को पूरा करने का उद्देश्य।

मश्कौर के साथ अनुबंध उन्हें किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। एल. ओ. सी. की शेष राशि के लिए 25 मिलियन की पहली किश्त वितरित की गई

उन्हें, अमेरिकी डॉलर 10.62 के अलावा पहले से ही के. बी. ई. एल. को भुगतान किया गया है और जिसे तब समायोजित किया जाएगा जब के. बी. ई. एल. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मुख्य ठेकेदार "।

[जोर दिया गया]

31. इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि के बोवेट का मामला कि

Rs.47,12,10,000/- की राशि, जिसका भुगतान विदेशों द्वारा किया गया था, का भुगतान मश्कौर की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा मश्कौर की ओर से विदेशों को जारी किए गए धन से किया गया था, को एक विवाद नहीं कहा जा सकता है जो नकली, भ्रामक है या रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री स्पष्ट करती है कि प्रारंभिक भुगतान

जो के बोवेट को एक उप-ठेकेदार के रूप में ओवरसीज द्वारा बनाया गया था, जो एक ठेकेदार था, जिसे मश्कौर की ओर से और मश्कौर से ओवरसीज द्वारा प्राप्त धन से बनाया गया था। यह भी स्पष्ट होगा कि मश्कौर और के बोवेट के बीच नया अनुबंध कब हुआ था। सीधे तौर पर, मश्कौर ने परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से मश्कौर शुगर कंपनी लिमिटेड को की जाने वाली आपूर्ति के खिलाफ Rs.47,12,10,000/- की उक्त राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया था। इसके विपरीत, दस्तावेज़ स्पष्ट करते हैं कि विदेशों के साथ अनुबंध की समाप्ति विदेशों को के बोवेट को भुगतान किए गए यू. एस. डी. 10.62 के अलावा एल. ओ. सी. की 25 मिलियन की पहली किश्त के शेष के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

32. इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि एन. सी. एल. टी. ने सही ही अस्वीकार किया था।

यह पता लगाने के बाद कि एक विवाद मौजूद है, विदेशों का आवेदन

के बोवेट और विदेशियों के बीच और इस तरह, आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत एक आदेश पारित नहीं किया गया होगा। हम पाते हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. ने तथ्यात्मक के साथ-साथ कानूनी स्थिति की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या की है और एन. सी. एल. टी. के आदेश को उलटने और धारा 9 याचिका को स्वीकार करने का निर्देश देने में गलती की है।

33. परिणामस्वरूप, इस अपील की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश दिया जाता है

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 21 दिसंबर 2018 को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2018 को पारित आदेश को बनाए रखा गया है।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी लंबित आई. ए. का निपटारा कर दिया जाएगा।

से।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन